

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 664 का उत्तर

कोसी नदी पर रेल पुल

664. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 1934 में भूकंप के कारण दो भागों में विभाजित होने वाले बिहार के संपूर्ण मिथिला क्षेत्र को जोड़ने के लिए कोसी पर एक बड़े पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में मिथिला क्षेत्र की जनता को कोसी नदी पर निर्मित रेल पुल को समर्पित करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मंत्रालय का इस पुल के जनता के लिए खुल जाने के पश्चात् इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

कोसी नदी पर रेल पुल के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को लोक सभा में श्री गोपाल जी ठाकुर के अतारांकित प्रश्न संख्या 664 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी हां। बिहार के मिथिला क्षेत्र में पड़ने वाली कोसी पुल नई लाइन परियोजना एक स्वीकृत परियोजना है। परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 516 करोड़ रुपये है, जिसमें से 382 करोड़ रुपये मार्च 2019 तक खर्च किए गए हैं। यह पुल पूर्व दिशा में सरायागढ़ और पश्चिम में निर्मली को जोड़ेगा। मुख्य पुल का निर्माण पहले ही हो चुका है। ट्रैक लिंकिंग कार्य शुरू कर दिया गया है।

किसी भी परियोजना का पूरा होना बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों) का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियों, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियों, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेशों, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के समापन समय और लागत, जिसकी गणना अंतिम चरण में की जाती है, को प्रभावित करते हैं। अतः, इस समय, इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

(ग) और (घ): किसी रेल परियोजना/पुल का नामकरण राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है। फिलहाल, कोसी पुल के नामकरण के संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
